बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक– 04/11/26

आदेश

रैखिक परियोजनायें (Linear Projects), जैसे कि स्लरी पाईपलाईन, तेल एवं गैस परिवहन पाईपलाईन, राजमार्ग या रेलवे लाईनों को बिछाने का कार्य, जिनके लिये 20,000 घनमीटर की सीमा से अधिक साधारण मिट्टी/गाद के निष्कर्षण (Extraction) या स्रोत निर्धारण (Sourcing) या खनन (Borrowing) की अपेक्षा होती है, उनके लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 1210 दिनांक 17.03.2025 तथा कार्यालय मेमो संख्या IA3-22/5/2024-IA.III[E-242280] दिनांक 18.03.2025 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है।

विभागीय संकल्प संख्या 1/PMC/विविध/252/2026–803 दिनांक–17.09.2026 द्वारा निर्गत बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 में वर्णित प्रक्रियाओं के तहत निकाली गयी गाद के निस्तारण हेतु अन्य सभी विकल्पों के अतिरिक्त एकरेखीय परियोजनाओं हेतु साधारण मिट्टी के उपयोग के लिये वर्णित दिशा–निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। उक्त प्रयोजन हेतु वर्णित दिशा–निर्देश में किसी विशेष परियोजना हेतु साधारण मिट्टी की मात्रा के निष्कर्षण (Extraction) या स्रोत निर्धारण (Sourcing) या खनन (Borrowing) पर निर्णय लेने के लिये निम्नरूपेण समिति गठित है :–

1	जिला पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि	:	अध्यक्ष
2	जिला वन पदाधिकारी अथवा नामित व्यक्ति	:	सदस्य
3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक अधिकारी	:	सदस्य
4	जिला खनन पदाधिकारी या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या भू–विज्ञानी	:	सदस्य सचिव

2. विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अधियाची विभाग के प्रतिनिधि एवं स्रोत स्वामित्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया जायेगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

04/11/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक– 04/11/26

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

04/11/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

Desktop/draft_Letter_Cricular 2_427

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– बिहार सरकार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला खनन पदाधिकारी/ सभी जिला वन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

04/11/26
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– सभी अभियंता प्रमुख/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–1/2, पटना/ सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/11/26
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/11/26
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04/11/26
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04/11/26
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/PMC/विविध/252/2026 931 पटना, दिनांक–04/11/26

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

04/11/26
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)